

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
 अम्बेडकर भवन, जी ३/१, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर
 क्रमांक प.४(५)ले.भु/ सान्याअवि/ २०२१-२२/ ३१३८१

जयपुर, दिनांक २२/७/२१

प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संख्या ३१३८१/२२/२१

मुख्यमंत्री सहायता कोष से दुर्घटना के प्रकरणों में दी गई सहायता राशि के पुनर्भरण हेतु वित्त विभाग को सहमति आई.टी. सं. १६२१००५८८ दिनांक १३.०७.२०२१ के क्रम में अप्रैल, २०२१ तक (बकाया राशि) एवं मई २०२१ में भुगतान की गई राशि के पेटे राशि रु. ६००.०० लाख (अक्षरे राशि रु. छ. करोड़ मात्र) मुख्यमंत्री सहायता कोष के निजी निक्षेप खाते में अन्तरित करने की एतद द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह राशि निम्नांकित लेखा शीर्ष से वहन की जायेगी :-

2235— सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02— समाज कल्याण

200— अन्य कार्यक्रम

(19)— सड़क दुर्घटना, प्राकृतिक दुर्घटना/आपदा, पशु दुर्घटना इत्यादि हेतु मुख्यमंत्री सहायता कोष के माफत अनुदान

[00]—

12— सहायतार्थ अनुदान (गैर संघेतन) राज्य निधि

यह स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी:-

1. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम २०१२ व नियम २०१३ तथा योजना के दिशा-निर्देश, तत्संबंधी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।
2. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयं जन के लिए ही किया जावें।
3. व्यय की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में महालेखाकार/स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को प्रस्तुत किया जावें।
4. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय निर्धारित समय में स्वीकृत उददेश्य पर ही किया जावें, तथा निर्धारित समय में खर्च नहीं हुई राशि राजकोष में पुनः जमा कराई जाए।
5. व्यय के लेखा महालेखाकार एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिए सदैव खुले रहेंगे।

३
 (ओम प्रकाश बुनकर)
 निदेशक एवं संयुक्त शासन अधिव

सान्याअवि जयपुर

जयपुर, दिनांक २२/७/२१

क्रमांक प.४(५)ले.भु/ सान्याअवि/ २०२१-२२/ ३१३८२-९।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक/ लेखा परीक्षा, राज., जयपुर।
2. सचिव (द्वितीय), मुख्यमंत्री सचिवालय, जयपुर।
3. विशिष्ट शासन सचिव, वित (व्यय-२), विभाग, राज. को उनकी अन्तर्भीमारी सहमति संख्या १६२१००५८८ दिनांक १३.०७.२०२१ के क्रम में।
4. निदेशक (बजट), सचिवालय, राज., जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष के निजी निक्षेप खाते में राशि रु. ६००.०० लाख (अक्षरे राशि रु. छ. करोड़ मात्र) तत्काल अन्तरित कर इस विभाग को सूचित कराने का शम करावे।
5. निजी सचिव, निदेशक, सान्याअवि, मुख्यालय, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
7. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, क.(ए) ९८, नं. शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
9. संयुक्त निदेशक (आई.टी.) को ऑनलाइन करने हेतु।
10. कार्यालय आदेश पत्रावली।

२३
 अतिरिक्त निदेशक
 (सतर्कता एवं प्रशासन)